

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 12885 वर्ष 2025**

नन्हे

.....आवेदक(गण)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिवादी(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता: बृजेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या- 12**माननीय न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह आवेदक की ओर से दायर की गई पहली जमानत याचिका है, जो थाना- पसगवां, जिला खीरी में धारा 326(जी), 324(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 305/2025 में शामिल है।

3. अभियोजन वाद में यह आरोप है कि 20.08.2025 को आवेदक और उसके भाई के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लगभग 12:20 बजे वे शिकायतकर्ता के बाड़े में आए, एक भैंस को ले गए और बाड़े में आग लगा दी, जिससे कई मवेशियों की मौत हो गई और घर का सामान नष्ट हो गया। यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता और उसका भतीजा, जो मौके पर मौजूद थे, भी झुलस गए।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी मुनेंद्र, जिसे आवेदक के समान ही भूमिका सौंपी गई है, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 04.05.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1592/2026 में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अतः यह निवेदन किया जाता है कि वर्तमान आवेदक समानता का हकदार है।

इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 13.11.2025 से जेल में बंद है। रिहा होने के बाद आवेदक के भाग जाने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. प्रस्तुत दलीलों पर उचित विचार करने, अभिलेख का अवलोकन करने, उपर्युक्त सह-आरोपी के जमानत आदेश और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह 13.11.2025 से जेल में बंद है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बिना, मैं समानता के आधार पर आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता हूँ।

7. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आवेदक- नन्हे को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, न्यायहित में अधिरोपित की जा रही निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vi) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

3 जून, 2026

रेनू/-

(न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।